

झारखण्ड सरकार  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल गुमला

ई-प्रोक्योरमेंट अल्पकालीन निविदा सूचना  
(प्रथम आमंत्रण)

निविदा आमंत्रण सूचना सं - DWSD/Gum/Anjan/23/2016-17

दिनांक — 27.01.2017

1	कार्य का नाम :- गुमला जिला के आँजन एवं निकट वर्ती ग्रामों में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना से सम्बन्धित विस्तृत सर्वे, विभिन्न अवयवों के डिजाईन एवं ड्राइंग कार्य, आर० सी० सी० इंटेकवेल-सह-पम्प हाउस आर० सी० सी० गैंगवे, पारम्परिक जलशोध संस्थान, आर०सी०सी० जलमीनार, स्टॉफ क्वार्टर, चहारदिवारी आदि का निर्माण कार्य, रॉ एवं शुद्ध जलापूर्ति डी०आर० पाइपों का डिजाईन, आपूर्ति तथा बिछाने का कार्य, वी०टी० एवं सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प आदि की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन एवं दो वर्षों तक परिचालन एवं सम्पोषण एवं अन्य सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य "टर्न की" के आधार पर।	
2	प्रावकलित राशि :-	537.2700 लाख रुपये
3	अग्रधन की राशि :-	5.38 लाख रुपये
4	कार्य पूर्ण करने की अवधि :-	24माह निर्माण हेतु + 3माह ट्रायल रन हेतु।
5	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि :-	13.02.17, 02.00 बजे अपराहन तक।
6	प्री बीड मीटिंग की तिथि एवं स्थल :-	23.02.17, 02.30 अपराहन से अभियन्ता प्रमुख का कार्यालय, नेपाल हाउस डोरण्डा रँची।
7	बीड प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं समय :-	06.03.2017, 5.00 बजे अपराहन तक।
8	बैंक गारंटी एवं परिमाण विपत्र का मूल्य जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय :-	08.03.2017, 5.00 बजे अपराहन तक,
9	बैंक गारंटी एवं परिमाण विपत्र का मूल्य जमा करने का स्थान	कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल गुमला के कार्यालय में
10	निविदा के तकनीकी बीडों के खोलने की तिथि एवं समय :-	09.03.2017, 11.00 बजे पूर्वाहन
11	निविदा के वित्तीय बीडों के खोलने की तिथि :-	बाद में सूचित किया जाएगा
12	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी एवं कार्यालय का पता :-	कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला।
13	प्रोक्योरमेंट कार्यालय का सम्पर्क नं०	06524-223058
14	ई प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्प लाईन नं०	9431356047

**नोट :-** (1) वैसे संवेदक जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में निबंधित नहीं हैं, वे भी निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु कार्यावंटन के 60 दिनों के अन्दर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में निबंधित होना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें विभागीय पत्रांक 676(CDO) दिनांक 20.10.2012 के अनुसार इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि राज्यान्तर्गत किसी भी थाने में उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है और वे निविदा के अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

(2) वैसे संवेदक जिनका कार्य काफी असंतोषप्रद है को निविदा प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://jharkhandtenders.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।

ह०/-

कार्यपालक अभियन्ता,  
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल गुमला

